रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2014/ आषाढ़ 20, 1936
No. 174] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2014/ASADHA 20, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 10 जुलाई , 2014

सं.यू-23013/14/2014-एल.डब्ल्यू (.).–ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 **की धारा** 5 **द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा डीएमआरसी, मैट्रो भवन, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली तथा इसके ठेकेदार मैसर्स बेदी एण्ड बेदी एसोसिएट्स, एफ-34, देशबन्धु गुप्ता मार्किट, करोल बाग, नई दिल्ली के प्रतिष्ठान में टॉम आपरेटर्स के कार्यों में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है।**

2. **समिति का संघटन निम्नानुसार होगा-**

(1) श्री राखल दास गुप्ता, –सदस्य
महासचिव,
नार्थ-इस्ट फ्रंटियर रेलवे मजदूर यूनियन, पांडु,
गुवाहाटी-781012

(2) श्री प्रभाकर सिंह, मुख्य अभियंता (एनडीजैड-1), –सदस्य
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली

(3) श्री चीमा, उप-मुख्य श्रमायुक्त (कें.) –सदस्य-संयोजक
जीवन दीप बिल्डिंग, नई दिल्ली।

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:

"डीएमआरसी, मैट्रो भवन, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली तथा इसके ठेकेदार मैसर्स बेदी एण्ड बेदी एसोसिएट्स, एफ-34, देशबन्धु गुप्ता मार्किट, करोल बाग, नई दिल्ली के प्रतिष्ठान में टॉम आपरेटर्स के कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण का अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं करना कि ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिष्ठानों के कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं।"

4. समिति का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा। समिति पक्षों को नए सिरे से सुनेगी, अपनी बात रखने की अनुमति देगी, यदि कोई हो तथा अपनी रिपोर्ट दो माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

जी. के. कालरा, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)
RESOLUTION

New Delhi, the 10th July, 2014

No. U-23013/14/2014-LW (.).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the jobs of Tom Operators in the establishment of D.M.R.C., Metro Bhawan, Bara Khamba Road, New Delhi and its contractor M/s. Bedi & Bedi Associates, F-34, Desh Bandhu Gupta Market, Karol Bagh, New Delhi.

2. The composition of the Committee will be as under:-

i. Rakhal Das Gupta,General Secretary, ` -Member
Northeast Frontier Railway Mazdoor Union,
Pandu, Guwahati-781012

ii. Prabhakar Singh,Chief Engineer(NDZ-I), -Member
Central Public Works Dept, Nirman Bhawan,
New Delhi

iii. Shri Cheema, Deputy CLC (Central), Jeevan Deep Building, -Member Convenor
New Delhi

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:-

"To study the working of contract labour system in the jobs/works of Tom Operators in the establishment of D.M.R.C., Metro Bhawan, Bara Khamba Road, New Delhi and its contractor M/s. Bedi & Bedi Associates, F-34, Desh Bandhu Gupta Market, Karol Bagh, New Delhi and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the said establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970".

4. The Headquarter of the Committee will be at Chandigarh. The Committee shall hear the parties afresh, allow submissions, if any and submit its report within two months.

G. K. KALRA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.